

श्रीमती मानवती वगैरह विरुद्ध सत्यदीन यादव

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग० ३१३०-दो/१४

जिला – सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१-७-२०१५	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किय। यह प्रकरण अपीलीय न्यायालय द्वारा अवधि विधान के अंतर्गत विलंब क्षमा करने के आवेदन को स्वीकार करने के विरुद्ध है। प्रकरण में आवेदक की ओर से यह कहा गया है कि आवेदक को आलोच्य आदेश की जानकारी पहले से थी किंतु इस संबंध में उसके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई ठोस आधार या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिससे उनके तर्कों की पुष्टि हो सके। अनुविभागीय अधिकारी के आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने उभयपक्षों को सुनने के पश्चात अपने विवेक का उपयोग करते हुए विलंब को क्षमा करते हुए अपील को अवधि के अंदर मान्य करते हुए प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया है। जिसमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। आवेदक को प्रकरण के गुणदोषों पर अपनापक्ष रखने का अवसर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपलब्ध है इस कारण इस स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूँ। परिणामस्वरूप यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">सदृश्य</p>	

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा संभाग
जिला—रीवा (म0प्र0)

मीमती स्रोत कुप्र० १८५४
दाय पंग २.८.१४
कलक्त अड केट
राजस्व मण्डल ब०५० ग्वालियर
(सर्किट केट) १३



- 1— मु0 मानवती पत्नी स्व0 सियाशरण यादव, उम्र 55 वर्ष, पेशा—कृषि
2— वंशपति यादव तनय स्व0 सियाशरण यादव, उम्र 25 वर्ष, पेशा—कृषि
3— वंशरूप यादव तनय स्व0 सियाशरण यादव, उम्र 22 वर्ष, पेशा—कृषि
4— रासरमण यादव तनय स्व0 सियाशरण यादव, उम्र 16 वर्ष,
5— नागेन्द्र यादव तनय स्व0 सियाशरण यादव, उम्र 12 वर्ष,
दोनों नाबालिक जरिए बली भाई वंशपति यादव
6— रामदिनेश यादव तनय ब्रजवासी यादव, उम्र—48 वर्ष पेशा—कृषि सभी निवासी
सा0—सेमरिया, तह0—अमरपाटन, जिला—सतना (म0प्र0)

निगरानीकर्तागण / रेस्पाडेन्टगण
बनाम

सत्यदीन यादव तनय श्री गणेश यादव उम्र—68 वर्ष पेशा—कृषि सभी निवासी
सा0—सेमरिया, तह0—अमरपाटन, जिला—सतना (म0प्र0)

गैरनिगरानीकर्ता / अपीलाथी

निगरानी विरुद्ध विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्
अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन, जिला—सतना म0प्र0 के
रा0प्र0क्र0 31 / अपील / 10—11 आदेश दिनांक 28 / 06 / 14
निगरानी अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0भू0रा0सं0—1955

मान्यवर,

निगरानीकर्तागण / रेस्पाडेन्टगण की ओर से निगरानी के आधार
निम्न हैं :-

- 1— यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ विधि व प्रक्रिया के हैं
जो कतई स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं तथा काबिल निरस्तगी के हैं।

क्रांति भाद्र